रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2700] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2013/अग्रहायण 11, 1935
No. 2700] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2013/AGRAHAYANA 11, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3554(अ).—जबकि कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड-ii में प्रकाशित दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2353 (असाधारण) के माध्यम ये मैसर्स डी-नोसिल क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड (अभी मैसर्स डोव एग्रो साइन्सेस (डास) को कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम) की धारा 9(3) के अंतर्गत ऐसटैमीप्रिड टैक्निकल, ऐसटैमीप्रिड 20 प्रतिशत एसपी फोर्मूलेशन, क्लोरपायरीफोस 10 प्रतिशत ग्रेन्यूलस फोर्मूलेशन व क्लोरपायरीफोस 50 प्रतिशत+साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन, हेतु प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किया । क्लोरपायरीफोस 50 प्रतिशत +साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन, के लिए धारा 9(4)के अंतर्गत प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों को भी रद्द कर दिया गया ।

जबकि दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2353 (असाधारण) में संशोधन मैसर्स घरडा कैमिकल लिमिटेड के क्लोरपायरीफोस 50 प्रतिशत+साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र को बहाल दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया क्योंकि यह फोर्मूलेशन सुरक्षित है बशर्ते इसे निर्धारित खुराक व ढंग से प्रयोग किया जाए ।

जबकि दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए पेस्टीसाइड एसोशिएशन और पेस्टीसाइड कंपनियों ने क्लोरपायरीफोस 50 प्रतिशत+साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन के लिए धारा 9(4) के अंतर्गत प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करने के विरोध में अभिवेदन दिये हैं ।

और जबकि सभी अभिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड-ii में प्रकाशित दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2353 (असाधारण) में इस सीमा तक आंशिक संशोधन किया जाता है कि क्लोरपायरीफोस 50 प्रतिशत+साइपरमैथरीन 5 प्रतिशत ईसी फोर्मूलेशन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(4) के अंतर्गत प्रदत्त सभी पंजीकरण प्रमाणपत्रों को पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित खुराक व पद्धति के अनुसार कृषि में उपयोग के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से बहाल किया जाएगा ।

[फा. सं. 13033/01/2012-पीपी. I(खंड)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2013

S.O. 3554(E).—Whereas Department of Agriculture & Cooperation vide Notification No. S.O. 2353(E) dated 12th October, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section -3 Sub-Section-ii cancelled certificates of registration for Acetamiprid Technical, Acetamiprid 20% SP Formulation, Chlorpyriphos 10% Granules Formulation and Chlorpyriphos 50% +Cypermethrin 5% EC Formulation granted under Section 9(3) of the Insecticides Act, 1968 (the Act) to M/s. De-Nocil Crop Protection Ltd. [now M/s. Dow Agro Sciences (DAS)]. All certificates of registration granted under Section 9(4) for Chlorpyriphos 50%+ Cypermethrin 5% EC Formulation were also cancelled.

Whereas Gazette Notification No. S.O. 2353(E) dated 12th October, 2011 was amended vide Notification dated 20th September, 2013 to the extent of restoration of certificate of registration for Chlorpyriphos 50 % +Cypermethrin 5% EC Formulation of M/s. Gharda Chemicals Limited, as the formulation was held to be safe, provided it is applied in the presribed dosage and manner.

Whereas, taking notice of Notification dated 20th September, 2013 Pesticides Associations and Pesticides Companies have represented against the cancellation of certificates of registration granted under Section 9(4) for Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5% EC Formulation.

And whereas, after consideration of all representations, Notification No. S.O. 2353(E) dated 12th October, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part -II Section-3 Sub-Section-ii is partially amended to the extent that all certificates of registration granted under Section 9(4) of the Insecticides Act, 1968 for Chlorpyriphos 50%+ Cypermethrin 5% EC Formulation are restored from the date of notification in the Gazette of India for application in agriculture as per dosage and method approved by the Registration Committee.

[F. No. 13033/01/2012-PP. I (part)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054